

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० ।
2. समस्त पुलिस आयुक्त, उ०प्र० ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० ।
5. समस्त नगर आयुक्त, उ०प्र० ।

**गृह (पुलिस) अनुभाग-3**

लखनऊ: दिनांक: 29 अक्टूबर, 2022

विषय:- छठ पर्व को कुशलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

छठ पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कुशलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

- 1- लोकआस्था का महापर्व 'छठ' धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इस पर्व की विशिष्ट परंपरा रही है। हमारा प्रयास हो कि हर एक व्रतधारी श्रद्धालुजन को अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि पर्व का आयोजन सुचारुपूर्वक संपन्न हो। इस वर्ष 'स्वच्छ और सुरक्षित छठ' का लक्ष्य रखकर लोगों की जरूरत के अनुसार सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।
- 2- छठ महापर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सपरिवार सहभागिता होती है। ऐसे में नदी घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, मोबाइल टॉयलेट, पेयजल सहित जनसुविधा के व्यवस्थित प्रबंध किए जाएं। स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए सभी व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए।
- 3- छठ के अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य और उदित होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। नदी घाटों के आस-पास पर्याप्त प्रकाश प्रबंध होना चाहिए। पर्व के अवसर पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। नदी की गहराई के अनुसार सुरक्षित क्षेत्र का चिन्हांकन कर बांस बल्लियों व रस्सियों लगायी जायें।
- 4- छठ घाटों के पास स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं। यहां डेंगू बुखार व विभिन्न जल जनित बीमारियों की जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। व्रतधारी माताएं ठंडे पानी में देर तक खड़ी रहती हैं। ऐसे में किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक चिकित्सा का समुचित प्रबंध किया जाए।
- 5- जिन नदी, तालाब व अन्य जलाशय पर छठ पूजन की परंपरा है, वहां पानी की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। आपात स्थिति के लिए एस०डी०आर०एफ०/एन०डी०आर०एफ० की टीमों की तैनाती होनी चाहिए। गोताखोर की भी व्यवस्था रखी जाये।
- 6- सुरक्षा के दृष्टिगत पूजन स्थल पर पुलिस की उपस्थिति रहे। महिला पुलिस की भी तैनाती की जाए। कुछ पुरुष पुलिस को सादी वर्दी में भी तैनात किया जाये। सतर्क दृष्टि रखी जाये व समुचित व्यवस्था करते हुये सुरक्षित छठ सुनिश्चित किया जाये।
- 7- हर प्रमुख स्थल, जहां छठ पूजन होता है, वहां पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था करें। कई बार छोटे बच्चे अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं, ऐसे में एक हेल्पडेस्क की स्थापना भी कराई जाए। इन स्थलों पर ट्रैफिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो।
- 8- छठ पूजन के दौरान आतिशबाजी की परंपरा है। लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आतिशबाजी भीड़भाड़ से दूर हो, ताकि व्रत-पूजन सुरक्षित व सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।

9- हर व्यक्ति छठ पर्व अपने पूरे परिवार के साथ मनाने की इच्छा रखता है। ऐसे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में लोगों को घर से आने-जाने के लिए अतिरिक्त बसें लगाई जाएं। दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों के साथ प्रशासन व पुलिस के लोग सहयोगपूर्ण व्यवहार करें।

10- प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के लिए सरकार संकल्पित है। विगत कुछ दिनों से डेंगू व अन्य बीमारियों के मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को बेड मिले, उसकी विधिवत चिकित्सकीय जांच हो और समय पर इलाज किया जाए। हमारे सभी मेडिकल कालेजों सहित जिला अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी व अन्य उच्चस्तरीय संस्थान साधन संपन्न हैं। इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की सूचना कतई स्वीकार नहीं की जाएगी।

सभी स्तर पर समय से समस्त आवश्यक कार्यवाही करते हुये जनसुविधा, साफ-सफाई, सुरक्षा व कानून-व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा जवाबदेही हर स्तर पर तय की जायेगी।

भवदीय,

( दुर्गा शंकर मिश्र )  
मुख्य सचिव।

### संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, जल शक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
8. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उ०प्र० लखनऊ।
10. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
11. पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ०प्र० लखनऊ।
12. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था उ०प्र० लखनऊ।
13. अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, उ०प्र०,
14. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।
15. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उ०प्र०।

आज्ञा से,

(डा० अनिल कुमार सिंह)  
विशेष सचिव, गृह